

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 468/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

**उनवान**

1. सोहनीदेवी पत्नि लूमाराम माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां
2. द्वारका पिता उगमा माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां
3. मथरा पिता उगमा माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां
4. लूमा पिता उगमा माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां
5. मु० मीरा पिता उगमा माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां
6. मु० रूकमा पिता उगमा माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां
7. फुलिया उर्फ पुड़िया पिता उगमा माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तह० फूलियाकलां

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. रतन पिता जेटू माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तह० फूलियाकलां
2. मु० घीसी बेवा जेटू माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तह० फूलियाकलां
3. मेवाराम पिता जालमा माली निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तह० फूलियाकलां
4. मु० झमकू पत्नि धन्ना बैरवा निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा) तह० फूलियाकलां

विपक्षीगण

**निर्णय**

दिनांक 15.07.2016

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थीगण नं० 1 की खातेदारी भूमि ग्राम मालीखेड़ा (मगनपुरा) प०म० माली खेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 105 के आराजी नम्बर 286/591 रकबा 0.30 है०, आ०न० 287 रकबा 0.17 है० आराजी कुल किता 02 रकबा 0.47 है० व प्रार्थीगण नं० 2 से 7 के खातेदारी अधिकार के खाता संख्या 49 के आराजी नम्बर 60 रकबा 0.30 है०, आ०न० 61 रकबा 0.25 आराजी किता 02 रकबा 0.55 है० का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।



प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम माली खेड़ा संवत् 2069 से 2072 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा माली खेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 02 रकबा 0.47 हैक्टर व किता 02 रकबा 0.55 है0 की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये (अक्षरे दो सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.07.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( एम0पी0 नायक )  
आर0ए0एस0  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलां, जिला-मीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

15/7/16  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलां, जिला-मीलवाड़ा  
फूलियाकलां

*(Handwritten mark)*